# न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

**पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन न0 **69/2019**

प्रार्थीगण :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
बनाम

विप्रार्थीगण :–.

1. देवाराम पुत्र हीराराम
2. चैनाराम पुत्र हीराराम
3. छोगाराम पुत्र हीराराम
4. बगताराम पुत्र हीराराम
5. चतराराम पुत्र हीराराम
   जाति कुम्हार निवासी कीटनोद
   तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

**आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती करने बाबत**

**उपस्थितिः– 1. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा**

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

**'निर्णय'**

दिनांक :– 18.06.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि तहसील पचपदरा को डी आई एल आर एल पी योजनान्तर्गत अतिशीघ्र ऑनलाईन कर सभी सुविधाऐं ऑनलाईन उपलब्ध करवाने के प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे है। ऑनलाईन तहसील होने के पश्चात् काश्तकारों को सीधे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ई–मित्र कियोस्क पर समस्त रेकर्ड एवं नक्शें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगें।इससे काश्तकारों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी तथा उनका समय एवं धन भी बचेगा। तहसील पचपदरा के सरहद मौंजा कीटनोद में मूल खेत खसरा संख्या 85 व 91 की भूमि की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इन्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है।

अन्त में निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण के मूल खसरा अनुसार एकीकरण करने का निवेदन किया गया। यदि किसी पक्षकार [illegible] होगा तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:33:23 IST
Reason: SelfAttested

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया, प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार पचपदरा के द्वारा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक 15.02.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को सुने बिना दिनांक 09.01.2020 को पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर पुन बरामद करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 15.02.2021 को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को पारित आदेश को अपास्त कर आवेदन पत्र पुनः बरामद किया गया।

विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से वकील श्री चेलाराम वकालातनामा पेश किया गया निवेदन किया गया की उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने से एकीकरण करने की कार्यवाही की जावे।

पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया गया कि तहसील पचपदरा के सरहद मौजा कीटनोद में मूल खेत खसरा संख्या 85 व 91 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरे विभजित किये हुए है, नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार की गई तरमीमों का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसीस्थिति में उपरोक्त खसरों से विभाजित किये गये खसरों का एकीकरण पूर्व की स्थिति के अनुसार करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से वकील श्री चेलाराम वकालातनामा पेश किया गया निवेदन किया गया की उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने से एकीकरण करने की सहमति प्रदान की ओर सम्पूर्ण खाता एकीकरण करने का निवेदन किया। पत्रावली का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि की जमाबंदी संवत् 2070–73 मय नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मौजा होटलू में मूल खेत खसरा संख्या 228 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से तहसील पचपदरा के सरहद मौजा कीटनोद में मूल खेत खसरा संख्या 85 व 91 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरे विभजित किये हुए है, नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार की गई तरमीमों का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसीस्थिति विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रत्तीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर तहसील पचपदरा के सर[illegible]नोद में मूल खेत खसरा संख्या 85 व 91 की तरमीम [illegible] में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों [illegible] करने हेतु प्रसतावित परिशिष्ट अ के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में [illegible]शिष्ट अ के मुताबिक अमलदरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:53:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट "अ" इस निर्णय के अभिन्न अंग होगा। इस निर्णय से यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में वाद / आवेदन प्रस्तुत करके चाराजोई कर सकता है।

(नरेश सोनी)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:53:23 IST
Reason: SelfAttested